सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 28, बुधवार, *शाके* 1945-जुलाई 19, 2023

Asadha 28, Wednesday , Saka 1945- July 19, 2023

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) जोधपुर
अधिसूचना
जोधपुर, जून 28, 2023

संख्या 333: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु–164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त भाक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.02.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृश्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी सं"ोधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.2017 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09. 102017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आव"यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्दे"य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग–अधिकार अर्थात राइट ऑफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त भाक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतू 132 केवी एकल परिपथ (एक्स एल पी ई केबल) 132 केवी जीएसएस चांदन से प्रपोज्ड रेलवे टीएसएस जेठा–चांदन अंडर ग्राउंड केबल निर्माण कार्य को गजट प्रकाशित हेतु मार्ग–अधिकार अर्थात राइट आफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है।

उक्त एकल परिपथ लाईन निम्नलिखित गांवों की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्र.स.	गांवो के नाम	तहसील	जिला
1	करमों की ढाणी	जैसलमेर	जैसलमेर
2	चांदन	जैसलमेर	जैसलमेर

जिला कलक्टर जैसलमेर– श्रीमति टीना डाबी

ऐ.आर कुरेशी,
सम्भागीय मुख्य अभियंता (प्र. व नि.)
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।